अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 142(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 सितम्बर,1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 832(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने नन्दलाल मुलजी भूटा मेडिकल फाउंडेशन, स्टेशन रोड, सिहोर, जिला भावनगर, गुजरात राज्य-364240 द्वारा श्री नंदलाल मुलजी भूटा मेडिकल फाउंडेशन, सिहोर, जिला भावनगर, गुजरात के लिए अस्पताल भवन के विस्तार के निर्माण और उपकरणों/एम्बुलेंस की खरीद की स्कीम या परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2000-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में तीन करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित केवल दो करोड़ चौसठ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं0 18 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 सा0आ0 905 (अ) द्वारा 1999-2000से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और, जबकि आर्थिक समाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए नन्दलाल मुलजी भुटा मेडिकल फाउंडेशन, स्टेशन रोड, सिहोर, गुजरात राज्य-364240 द्वारा श्री नंदलाल मुलजी भूटा मेडिकल फाउंडेशन, सिहोर, जिला भावनगर, गुजरात के लिए अस्पताल भवन के विस्तार के निर्माण और उपकरणों/एम्बुलेंस की खरीद की स्कीम या परियोजना को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है !

[सं. 41/2005/फा. सं. एनसी-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)